रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022020-216263
CG-DL-E-19022020-216263

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 66] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 17, 2020/माघ 28, 1941
No. 66] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 17, 2020/MAGHA 28, 1941

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2020

सं. भा.आ.प.-12(2)/2019-मेड.विविध/189334.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अधिक्रमण में शासी बोर्ड "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" को पुन: संशोधित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामत :-

1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं (संशोधन) नियमावली, 2019" कहा जाएगा।

   (ii) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" में अनुसूची-I में, दिनांक 01.11.2018 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित खंड 6 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"कुल 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव, रखने वाले, किसी मेडिकल कालेज या संस्थान में अध्यापकों को सामान्य विशेषज्ञताएं स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसमें से कम से कम 4 वर्ष का अध्यापन अनुभव, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त किया गया हो, अनुक्रमित जरनलों (जैसाकि तालिका में दर्शाया गया है) में कम से कम एक अनुसंधान प्रकाशन के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में हो।

अति विशेषज्ञताओं के मामले में केवल उन्हीं अध्यापकों को स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिनके पास 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो जिनमें से 2 वर्ष का अध्यापन अनुभव, उच्चतर विशेषज्ञता डिग्री प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त किया गया, सहायक प्रोफेसर के रूप में हों।"

I. सामान्य विशेषज्ञताएं (एमडी/एमएस/डीएनबी)

पद	शैक्षिक योग्यता	अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव
प्रोफेसर/अपर प्रोफेसर (स्नातकोत्तर के पश्चात 8 वर्ष का अनुभव)	संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एमडी/एमएस/डीएनबी	(i) अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कालेज/संस्थान में 3 वर्ष के लिए 3 अनुसंधान प्रकाशनों (कम से कम दो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में) (केवल मूल कागजात, मेटा-विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस अनुक्रम जो हैं मेडलाइन, पबमेडसेंट्रल, प्रशस्ति सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्तारित एम्बेस, स्कोपस, ओपनएक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जाएगा) के साथ, उस विषय में एसोसिएट प्रोफेसर। लेखक को पहले तीन में से एक होना चाहिए या तदनुरूपी लेखक होना चाहिए। (ii) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। (iii) बायोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की पारगमन अवधि के लिए, अधिसूचना की दिनांक से, प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति / पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।
एसोसिएट प्रोफेसर (स्नातकोत्तर के पश्चात 5 वर्ष का अनुभव)	संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एमडी/एमएस/ डीएनबी	(i) अनुमति प्राप्त / अनुमोदित / मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कालेज / संस्थान में 4 वर्ष के लिए 1 अनुसंधान प्रकाशन (केवल मूल कागजात, मेटा-विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस अनुक्रम जो हैं मेडलाइन, पबमेडसेंट्रल, प्रशस्ति सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्तारित एम्बेस, स्कोपस, ओपनएक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जाएगा) के साथ, उस विषय में सहायक प्रोफेसर। लेखक को पहले तीन में से एक होना चाहिए या तदनुरूपी लेखक होना चाहिए। (ii) प्रकाशन / लेखनकारिता के बदले में अनुसंधान

		परियोजना को केवल तभी माना जा सकता है जब व्यक्ति किसी राष्ट्रीय अनुसंधान निकाय जैसे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) या ऐसे किसी निकाय द्वारा वित्तपोषित एक अनुसंधान परियोजना का प्रधान या सह-प्रधान अन्वेषक (P1 / CoPI) हो। (iii) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। (iv) बायोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की पारगमन अवधि के लिए, अधिसूचना की दिनांक से, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति / पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।
सहायक प्रोफेसर	इन विनियमों के अनुसार और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एम.डी./ एम.एस. / डी.एन.बी.	किसी मान्यताप्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में कनिष्ठ रेजीडेंट के रूप में 3 वर्ष और किसी मान्यताप्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेडीडेंट के रूप में एक वर्ष । अनुसूची-I के खंड 4क के अनुसार, एम.डी./एम.एस. के समतुल्य माने गए डी.एन.बी. अभ्यार्थी के मामले में, रेजीडेंट/ प्रदर्शक /ट्यूटर के रूप में 3 वर्ष के अध्यापन अनुभव या डी.एन.बी. प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कार्य अनुभव के अलावा किसी मान्यताप्राप्त /अनुमतिप्राप्त मेडिकल कालेज में संबंधित विषय में वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में एक वर्ष ।
वरिष्ठ रेजीडेंट	इन विनियमों के अनुसार और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता एम.डी./ एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा	वरिष्ठ रेजीडेंट वह है जो स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा (एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी /डिप.) प्राप्त करने के पश्चात संबंधित स्नातकोत्तर विषय में अपनी रेजीडेंसी कर रहा /रही है और 45 वर्ष से कम आयु का/की है

II. अति विशेषज्ञताएं (डीएम/एम.सीएच./डीएनबी)

पद	**शैक्षिक योग्यता**	**अध्यापन एवं अनुसंधान अनुभव**
प्रोफेसर/अपर प्रोफेसर (अति विशेषज्ञता के पश्चात 5 वर्ष का अनुभव)	संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार अति विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता डीएम/ एम.सीएच./डीएनबी	(i) अनुमति प्राप्त / अनुमोदित / मान्यता प्राप्त किसी मेडिकल कालेज/संस्थान में 3 वर्ष के लिए 3 अनुसंधान प्रकाशनों (कम से कम दो एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में) (केवल मूल कागजात, मेटा-विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस अनुक्रम जो हैं मेडलाइन, पबमेडसेंट्रल, प्रशस्ति सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्तारित एम्बेस,

		स्कोपस, ओपनएक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जाएगा) के साथ, उस विषय में एसोसिएट प्रोफेसर। लेखक को पहले तीन में से एक होना चाहिए या तदनुरूपी लेखक होना चाहिए। (ii) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। (iii) बायोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की पारगमन अवधि के लिए, अधिसूचना की दिनांक से, प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति / पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।
एसोसिएट प्रोफेसर (अति विशेषज्ञता के पश्चात 2 वर्ष का अनुभव)	संबंधित विषय में और इन विनियमों के अनुसार अति विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता डीएम/ एम.सीएच./डीएनबी	(i) अनुमति प्राप्त/अनुमोदित/मान्यताप्राप्त किसी मेडिकल कालेज/संस्थान में 2 वर्ष के लिए 1 अनुसंधान प्रकाशन (केवल मूल कागजात, मेटा-विश्लेषण, व्यवस्थित समीक्षा और केस अनुक्रम जो हैं मेडलाइन, पबमेडसेंट्रल, प्रशस्ति सूचकांक, विज्ञान उद्धरण सूचकांक, विस्तारित एम्बेस, स्कोपस, ओपन एक्सेस पत्रिकाओं की निर्देशिका (DoAJ) में प्रकाशित पत्रिकाओं में विचार किया जाएगा) के साथ, उस विषय में सहायक प्रोफेसर। लेखक को पहले तीन में से एक होना चाहिए या तदनुरूपी लेखक होना चाहिए। (ii) प्रकाशन / लेखनकारिता के बदले में अनुसंधान परियोजना को केवल तभी माना जा सकता है जब व्यक्ति किसी राष्ट्रीय अनुसंधान निकाय जैसे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आईसीएमआर) विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग (डीएसटी), जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) या ऐसे किसी निकाय द्वारा वित्तपोषित एक अनुसंधान परियोजना का प्रधान या सह-प्रधान अन्वेषक (P1 / CoPI) हो। (iii) चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। (iv) बायोमेडिकल रिसर्च में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा निर्दिष्ट संस्थानों से मूलभूत पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। इसके अलावा बशर्ते कि 2 साल की पारगमन अवधि के लिए, अधिसूचना की दिनांक से, एसोसिएट प्रोफेसर के

		पद पर नियुक्ति / पदोन्नति "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" अधिसूचना के अनुसार संस्था द्वारा की जा सकती है जैसा कि इस अधिसूचना के जारी होने से पहले था।
सहायक प्रोफेसर	इन विनियमों के अनुसार और संबंधित विषय में अनुसूची-I के खंड 4क के अनुसार डीएम/एम.सीएच. के समतुल्य मानी गई डीएम/ एम.सीएच./डीएनबी में अति विशेषज्ञता स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता	
वरिष्ठ रेजीडेंट	संबंधित विषय में एम.सीएच./डीएम के लिए पंजीकृत	

3. "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली,1998" में अनुसूची-I में निम्नलिखित को खंड 12 के रुप में जोड़ा जाएगा :-

"किसी भी नई सामान्य विशेषज्ञता या अति विशेषज्ञता के लिए शैक्षणिक योग्यता इन विनियमों के अधिसूचित करने के समय नई विशेषज्ञता को दिखाया जाएगा। पारगमन अवधि के दौरान और यहां तक कि पारगमन अवधि समाप्त होने के बाद भी शिक्षण संकाय के रूप में नियुक्त व्यक्ति एसोसिएट प्रोफेसर / प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति के हकदार होंगे। हालांकि, एक बार नई विशेषज्ञता या अति विशेषज्ञता की प्रवेश क्षमता भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 के दायरे में आने वाले आयुर्विज्ञान संस्थानों में 100 नंबर तक पहुंच जाती है और निरंतर तीन शैक्षणिक वर्षों तक 100 या उससे अधिक बनी रहती है, इस मामले की परिषद् द्वारा समीक्षा की जाएगी कि क्या एक ही शैक्षणिक योग्यता के साथ इसे जारी रखा जाए या नई नियुक्तियों हेतु उस विशेषज्ञता की आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों से करने के लिए अधिदेश किया जाए।"

डॉ. आर.के. वत्स, महासचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./450/19]

पाद टिप्पणी: प्रधान विनियमावली, नामत: "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" 05 दिसंबर, 1998 को भारत के राजपत्र के भाग III खंड 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03/11/2010, 08/07/2011, 12/06/2012, 06/09/2012, 01/10/2012, 16/05/2015, 13/07/2016, 11/03/2017, 08/06/2017, 23/01/2018, 01/11/2018, 07/06/2019 और 16/08/2019 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2020

No. MCI-12(2)/2019-Med.Misc./189334.— In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), in Supersession of the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998, namely:-

1. (i) These regulations may be called the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions (Amendment) Regulations, 2019".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", in Schedule 1, clause 6 as amended vide notification dated 01.11.2018, shall be substituted with the following:-

"The Teachers in a medical college or institution having a total of 8 years teaching experience out of which at least 4 years teaching experience as Assistant Professor with atleast one research publication in indexed journals (as indicated in table) gained after obtaining postgraduate degree shall be recognized as post graduate teacher in broad specialties.

In case of super specialties only those teachers who possess 5 years teaching experience out of which at least 2 years teaching experience as Assistant Professor gained after obtaining the higher specialty degree shall be recognized as post graduate teacher."

I. <u>Broad Specialities (MD/MS/DNB)</u>

Posts	**Academic Qualification**	**Teaching & Research Exp.**
Professor/Addl. Professor (8 years of Post PG Experience)	A post graduate qualification MD/MS/ DNB in the concerned subject and as per these Regulations	(i) Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/approved/ recognized medical college/institution with three Research publications (atleast two as Associate Professor) (only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed Central, Citation index, Sciences Citation index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered). The author must be amongst first three or should be the Corresponding author. (ii) Should have completed the Basic course in Medical Education Technology from Institution(s) designated by MCI. (iii) Should have completed the Basic course in biomedical research from Institution(s) designated by MCI. Further provided that for the transitory period of 2 years w.e.f. the date of this notification, the appointment/ promotion to the post of Professor can be made by the institution in accordance with the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before issuance of this notification.
Associate Professor (5 years of Post PG experience)	A post graduate qualification MD/MS/ DNB in the concerned subject and as per these Regulations.	(i) As Assistant Professor in the subject for 4 years in a permitted/approved/recognized medical college/ institution with one Research publication (only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed Central, Citation index, Sciences Citation index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered). The author must be amongst first three or should be the Corresponding author. (ii) Research project in lieu of publication/authorship can be considered only if the person is Principal or Co-Principal investigator (P1/CoPI) of a research project funded by a national research body such as Indian Council for Medical Research (ICMR), Department of

		Science & Technology (DST), Department of Bio-Technology (DBT) or any such body. (iii) Should have completed the Basic course in Medical Education Technology from Institution(s) designated by MCI. (iv) Should have completed the Basic course in biomedical research from Institution(s) designated by MCI. Further provided that for the transitory period of 2 years w.e.f. the date of this notification, the appointment/promotion to the post of Associate Professor can be made by the institution in accordance with the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before issuance of this notification.
Assistant Professor	A post graduate qualification MD/MS/ DNB in the concerned subject and as per these Regulations.	3 years Junior Resident in a recognized permitted medical college in the concerned subject and one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized permitted medical college. In case of DNB candidate equated to MD/MS in terms of clause 4A of Schedule-I, in addition to 3 year teaching experience in the subject as Resident/ Registrar/ Demonstrator/ Tutor/ or work experience gained during DNB training, one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted medical college.
Senior Resident	A post graduate qualification MD/MS/ DNB/ Diploma in the concerned subject and as per these Regulations.	Senior Resident is one who is doing his/her residency in the concerned post graduate subject after obtaining PG degree/Diploma (MD/MS/ DNB/Dip.) and is below 45 years of age.

II. Super Speciality (DM/M.Ch./DNB)

Posts	Academic Qualification	Teaching & Research Experience
Professor/ Addl. Professor (5 years of Post Super Speciality experience)	A super speciality post graduate qualification in DM/M.Ch./DNB in the concerned subject and as per these Regulations.	(i) Associate Professor in the subject for 3 years in a permitted/approved/recognized medical college/ institution with three Research publications (atleast two as Associate Professor) (only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed Central, Citation index, Sciences Citation index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered). The author must be amongst first three or should be the Corresponding author. (ii) Should have completed the MCI recognized Basic course in Medical Education Technology. (iii) Should have completed the Basic course in biomedical research from Institution(s) designated by MCI.

		Further provided that for the transitory period of 2 years w.e.f. the date of this notification, the appointment/ promotion to the post of Professor can be made by the institution in accordance with the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before issuance of this notification.
Associate Professor/ (2 years of Post Super Speciality experience)	A super speciality post graduate qualification in DM/M.Ch./DNB in the concerned subject and as per these Regulations.	(i) As Assistant Professor in the subject for 2 years in a permitted/approved/recognized medical college/institution with one Research publication (only original papers, meta-analysis, systematic reviews, and case series that are published in journals included in Medline, Pubmed Central, Citation index, Sciences Citation index, Expanded Embase, Scopus, Directory of Open access journals (DoAJ) will be considered). The author must be amongst first three or should be the Corresponding author. (ii) Research project in lieu of publication/authorship can be considered only if the person is Principal or Co-Principal investigator (P1/CoPI) of a research project funded by a national research body such as Indian Council for Medical Research (ICMR), Department of Science & Technology (DST), Department of Bio-Technology (DBT) or any such body. (iii) Should have completed the Basic course in Medical Education Technology from Institution(s) designated by MCI. (iv) Should have completed the Basic course in biomedical research from Institution(s) designated by MCI. Further provided that for the transitory period of 2 years w.e.f. the date of this notification, the appointment/promotion to the post of Associate Professor can be made by the institution in accordance with the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998" as prevailing before issuance of this notification.
Assistant Professor	A Super Speciality post graduate qualification in DM/M.Ch./DNB equated to DM/M.Ch. in terms of clause 4A of Schedule – I in the concerned subject and as per these Regulations.	
Senior Resident	Registered for M.Ch./DM in the concerned subject	

3. In the "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations, 1998", the following shall be added as clause 12 in Schedule I:-

The academic qualification for any new broad specialty or super specialty shall be the one shown at the time of notifying the new specialty in these Regulations. Persons appointed as teaching faculty during the transition period shall be entitled for promotion to the post of Associate Professor/Professor even after the transition period is over. However, once the intake capacity of the new specialty or super specialty reaches the number 100 in Medical Institutions falling within the ambit of the Indian Medical Council Act, 1956 and remains 100 or above for three consecutive academic years, the matter shall be reviewed by the Council whether to continue with the same academic qualifications or mandate that new appointments shall be made of persons with the required academic qualification of that specialty.

Dr. R.K. VATS, Secy.-General

[ADVT.-III/4/Exty./450/19]

Footnote: The Principal Regulations namely, "Minimum Qualifications for Teachers in Medical Institutions Regulations 1998" were published in Part- III, Section (4) of the Gazette of India on the 5th December, 1998 and amended vide MCI notifications dated 16/03/2005, 21/07/2009, 28/10/2009, 15/12/2009, 03.11.2010, 08.07.2011, 12.06.2012, 06.09.2012, 01.10.2012, 16.05.2015, 13.07.2016, 11.03.2017, 08.06.2017, 23.01.2018, 01.11.2018, 07.06.2019 and 16.08.2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.19 15:04:08 +05'30'